प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2023**
प्र.ई.रि.सं.....127/2023 दिनांक 24/5/2023

2.–(1) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा–7
(2) अधिनियम – भादस धारा–120 बी
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....474.....समय.....7:55P.M.,
(ब) अपराध के घटने का दिन मंगल**वार, दिनांक 23.05.2023, समय 08.10 पीएम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का **दिनांक 18.05.2023 समय 04.15 पी.एम.**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– करणी माता मंदिर के पास सामुहिक प्याउ
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा– उत्तर बफासला 40 किलोमीटर
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– श्री राजु भोई
(ब).–पिता का नाम :– श्री इन्द्रमल भोई
(स).–जन्म तिथि :– उम्र–31 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः–
(ल).–पता :– नदी दरवाजा भोई मोहल्ला आमेट जिला राजसमन्द

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....
1. श्री उमेश मेवाडा पुत्र श्री कैलाश मेवाडा उम्र 25 वर्ष निवासी शनि मन्दिर मारू दरवाजे के बाहर आमेट जिला राजसमन्द हाल कम्युटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) नगरपालिका आमेट जिला राजसमन्द
2. श्री दीपक मेवाड़ा हाल कम्युटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) नगरपालिका आमेट जिला राजसमन्द एवं अन्य

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही
9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
8,000/– रूपये ट्रेप राशि
10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य **8,000/–**रूपये ट्रेप राशि
11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2023 को समय 04.15 पी.एम. पर परिवादी श्री राजु भोई पुत्र श्री इन्द्रमल जी भोई निवासी नदी दरवाजा भोईयों का मोहल्ला, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "मैं आमेट कस्बे में नदी दरवाजा भोई मोहल्ला का मुल निवासी हुं। मेरी माताजी श्रीमती झमकु देवी भोई माली के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैनें नगरपालिका आमेट में आवेदन किया था जिस पर नगरपालिका आमेट के संविदा कर्मचारी श्री दीपक मेवाडा व उमेश मेवाडा व इसके अलावा ओर भी अधिकारी आये थे जिनको मैं जानता नहीं था। इन सभी ने मेरे निर्माणाधीन मकान के नींव व निर्माण कार्य के फोटोग्राफ इत्यादि खींचे मोका मुआयना किया और कागजी कार्यवाही की थी उसके बाद मेरी माताजी श्रीमती झमकु देवी के खाते में प्रधानमंत्री आवाज योजना के तहत प्रथम किस्त 30,000/– रूपये जमा हुये। उक्त प्रथम किस्त के रूपये जमा होने के करीब दो–तीन दिन बाद नगरपालिका आमेट के संविदा कर्मचारी श्री दीपक मेवाडा ने मुझे फोन कॉल कर नगरपालिका आमेट मे बुलाया। जिस पर मैं नगरपालिका आमेट गया जहां पर मैं श्री दिव्यांशु सनाढ्य नाम के कर्मचारी से मिला जिसने मुझे देखकर कहा कि आपके माताजी झमकु देवी के अकाउंट में 30,000/– रूपये की प्रथम किस्त जमा हो गई है तो मैनें उसे प्रथम किस्त जमा होने की सहमति दी। जिसके बाद उसने श्री दीपक मेवाडा को बुलाया और कहा कि तुम दोनो आपस में बात कर लो। फिर मुझे दीपक मेवाडा ने प्रथम किस्त 30,000 रूपये के 50 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग की तो मैनें इतने रूपये रिश्वत में देने से मना कर दिया तो उसने 10000 रूपये रिश्वत देने के लिये दबाव बनाया और कहा कि अगर यह 10000 रूपये रिश्वत के नहीं दिये तो तुम्हारे इसके बाद वाली दुसरी किस्त जो कि 60000 रूपये की होगी जिसमें अडचन आयेगी। उसके बाद मैं वहां से आ गया था। इसके बाद दीपक मेवाडा मुझे इसके स्वयं के मोबाईल से तथा अलग–अलग मोबाईल नंबरो से फोन कॉल कर रिश्वत राशि देने के लिये परेशान करने लगा। तब मैनें उसे आमेट से बाहर होने का कह कर टालता रहा। अब मैं ज्यादा परेशान हुआ तो मैनें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल किया जिस पर मिले निर्देशानुसार मैं आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द ऑफिस पर आया हुं। मेरी माताजी अनपढ है जिस कारण समस्त कार्य मैं ही करता हुं। उनकी उम्र करीब 60 वर्ष के लगभग है जिस कारण मैं उन्हें आज आपके कार्यालय में लेकर नहीं आया हुं जब भी आवश्यकता होगी तब मैं उन्हें लेकर आ जाउंगा। इस प्रकार नगरपालिका आमेट के संविदा कर्मचारी श्री दीपक मेवाडा, श्री दिव्यांशु सनाढ्य, श्री उमेश मेवाडा द्वारा मुझसे मेरी माताजी श्रीमती झमकु देवी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खाते में आये प्रथम किस्त 30000 रूपये में से 10000 रूपये की मांग कर अग्रिम दुसरी किस्त जो कि 60000 रूपये की होगी उसमें अडचन पैदा करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं इन लोगो को 10,000/–रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। बल्कि उक्त तीनों को रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी श्री दीपक मेवाडा, श्री दिव्यांशु सनाढ्य, श्री उमेश मेवाडा से कोई भी उधार राशि या पुरानी बकाया राशि की लेन–देन नहीं है, न हीं कोई आपसी रंजिश है। कानूनी कार्यवाही करावें।" परिवादी से मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांगने का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का सत्यापन दिनांक 18.05.23 को दीपक मेवाडा एवं श्री राजु भोई के मध्य तथा दिनांक 19.05.23 को उमेश मेवाडा एवं राजु भाई के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया गया तो रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में दोनों आरोपीगणों द्वारा तकनीकी सहायक देयांशु सनाढ्य के नाम से द्वितीय किश्त में अडचन नहीं डालने की एवज में 15,000 रूपये रिश्वत राशि मांगने एवं 8,000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना पाया गया। दिनांक 23.05.2023 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थित में रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करायी जाकर फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। समय 04.30 पी.एम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अनूप सिंह पुलिस उप अधीक्षक मय मय स्वतंत्र गवाहान श्री विरेन्द्र विकास साहू एवं श्री अंकुर मेहता, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233, श्री किशनाराम कानि. नं. 404 मय सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–14–यू0जे0–1746 मय चालक मनोज कुमार कानि0 नं0 23 मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के एवं श्री भंवरदान कानि. नं. 414, श्री जितेन्द्र कुमार नं. 262, श्री प्रदीप सिंह

कानि. नं 162 व परिवादी श्री राजु भोई मय भूमि विकास बैंक राजसमन्द के अनुबंधित वाहन बोलेरो नं. आर0जे0–27–टी0ए0–6511 के चालक श्री मदन लाल रेगर के ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से कस्बा आमेट के लिये रवाना हो कस्बा आमेट से पहले सरदारगढ रोड पर रेल्वे फाटक के निकट स्थित पत्थर की पट्टीयों के गोदाम के बाहर पहुंचे जहां पर परिवादी ने बताया कि मैं आज सुबह जब आपके कार्यालय राजसमन्द आया तब मैनें मेरी मोटरसाइकिल यहीं पर उक्त पट्टीयों के गोदाम के बाहर, रोड के किनारे खडी की थी और यहीं से प्राईवेट बस में बैठ कर आया था। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता व दोनो वाहनों के एक तरफ रूक कर परिवादी को उसे पूर्व में ही सुपूर्द किये हुये डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के संचालन के विधि की पुनः समझाईश की गई। तत्पश्चात उसी स्थान से समय 05.49 पी. एम. पर परिवादी द्वारा अपने मोबाईल फोन नंबर 8209581435 से श्री दीपक मेवाडा संविदाकर्मी के मोबाईल नंबर 9928535152 पर वाट्सअप फोन कॉल स्पीकर ऑन कर किया गया उक्त मोबाईल वाट्सअप वार्ता को परिवादी के पास मोजुद डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर रिकॉर्ड किया जिसमें "परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लाने के संबंध में वार्ता की जिस पर दीपक मेवाडा ने रिश्वत राशि सुरेश खींची नाम के व्यक्ति की दुकान पर बन्टी नाम के व्यक्ति को देने हेतु कहा गया।" तत्पश्चात समय 05.56 पी.एम. पर परिवादी श्री राजु भोई द्वारा अपने मोबाईल फोन नंबर 8209581435 से श्री दीपक मेवाडा संविदाकर्मी के मोबाईल नंबर 9928535152 पर वाट्सअप फोन कॉल किया गया उक्त मोबाईल वाट्सअप वार्ता को परिवादी श्री राजु भोई के पास मोजुद डिजिटल वॉइस टेप रिकॉर्डर को चालु कर रिकॉर्ड किया गया जिसमें "श्री दीपक मेवाडा द्वारा रिश्वत राशि पुर्व वार्तानुसार उक्त बन्टी को ही देने हेतु अडिग रहा परन्तु परिवादी द्वारा रिश्वत राशि स्वयं दीपक मेवाडा को ही देने हेतु अनुरोध किया गया"।

तद्उपरांत कुछ समय के बाद परिवादी श्री राजु भोई ने स्वयं मन् पुलिस उप अधीक्षक को पास आकर बताया कि अभी–अभी मुझे उमेश मेवाडा संविदाकर्मी ने फोन कर रिश्वत राशि लेकर वेवर महादेव मंदिर आमेट के पास सार्वजनिक गार्डन के पास मिलने हेतु कहा है।" जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री राजु भोई को उसे उसकी निजी मोटरसाईकिल से डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु कर वेवर महादेव मंदिर आमेट के निकट स्थित सार्वजनिक गार्डन के पास उमेश मेवाडा के बताये हुये स्थान पर जाने हेतु रवाना किया तथा उसके पीछे–पीछे ही मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो टीम के रवाना हो परिवादी के बताये स्थान के पास पहुंचे तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक भी मय ब्यूरो जाप्ता व दोनो ही वाहनों से उक्त स्थान जो करणी माता मंदिर के पास ही स्थित सार्वजनिक प्याउ थी जिससे कुछ दुरी पर रोड के किनारे अपनी उपस्थिति को छिपाते हुये परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। कानि0 प्रदीप सिंह सार्वजनिक प्याउ के पीछे व कानि0 जितेन्द्र को प्याउ के पास पूर्वज बावजी के चबुतरे की आड में खडा होकर आरोपी का इंतजार करने एवं समस्त कार्यवाही को देखने व यथा संभव अपनी उपस्थिति छिपाते हुये सुनने की हिदायत कर मूकीम किया। समय 08.10 पीएम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 262 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को मोबाईल से कॉल कर कहा कि परिवादी ने निर्धारित ईशारा (सिर पर हाथ फेरकर) कर दिया है जो रोड लाईट की पर्याप्त रोशनी में दिख रहा है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री विरेन्द्र विकास साहू एवं श्री अंकुर मेहता, श्रीमती सीता हैड कानि0 नं0 233 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक मनोज कुमार कानि0 नं0 23 एवं श्री भंवरदान कानि0 नं0 414, श्री किशनाराम कानि0 नं0 404 मय भूमि विकास बैंक का अनुबन्धित वाहन मय चालक श्री मदन लाल के रवाना हो करणी माता मंदिर के पास ही स्थित सार्वजनिक प्याउ के पास पहुंचे। जहां श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 262 एवं श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं. 162 भी उपस्थित आये। तत्पश्चात परिवादी श्री राजु भोई ने अपने पास से चालु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस उप अधीक्षक को संभलाया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री राजु भोई ने आरोपी श्री उमेश मेवाडा की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं उमेश मेवाडा है जिन्होने मेरे से 8,000 रूपये ग्रहण किये है। जिस पर आरोपी का एक हाथ श्री भंवरदान कानि0 नं. 414 एवं दूसरा हाथ श्री प्रदीप सिंह कानि0 नं0 162 ने कलाई से उपर पकडा। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना व मय हमराहियान का परिचय देते हुए आरोपी से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री उमेश मेवाडा पुत्र श्री कैलाश मेवाडा उम्र 25 वर्ष निवासी शनि मन्दिर मारू दरवाजे के बाहर आमेट जिला राजसमन्द हाल कम्युटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) नगरपालिका आमेट होना बताया। आरोपी श्री

उमेश मेवाडा से मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से 8000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो घबराते हुए कहा कि "मैंने राजु भोई से उसकी माता श्रीमती झमकु देवी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किश्त 30,000/–श्री दीपक मेवाड़ा कम्युटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) नगरपालिका आमेट द्वारा जमा किए गए थे। श्री दीपक मेवाड़ा ने मुझे कहा कि तुं राजु भोई से 15,000 रूपये ले लेना, राजु भोई द्वारा कुछ रूपये कम करने की कहने पर दीपक मेवाडा ने 8,000 रूपये के लिए कहा था। इसलिए में राजु भोई से आज 8,000 रूपये लेने आया हूं। दीपक मेवाडा 8000 रूपये में से 7000 रूपये स्वयं रखेगा तथा 1000 रूपये मूझे देगा ओर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्य दीपक मेवाडा ही करता है। मैं नगरपालिका आमेट में जन्म मृत्यु पंजीकरण संबंधी कार्य करता हूं और कहने लगा मुझसे गलती हो गई मूझे माफ कर दो।" तत्पश्चात मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता होना पाया गया। ततपश्चात श्री किशनाराम कानि नम्बर 404 से गाडी में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर हाथ धुलवाई की कार्यवाही हेतु कानि0 जितेन्द्र कुमार नं0 262 से ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलासों में अलग–अलग साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उक्त दोनों गिलासों में अलग–अलग एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया जिस पर अलग–अलग गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री उमेश मेवाड़ा के दाहिने एवं बाये हाथ की अंगुलियां एवं अंगूठा को धुलवाया गया तो दोनों हाथों के धौवण का मिश्रण गहरा गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया तो गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे अलग–अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल–चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा अलग–अलग मार्क अंकित कर शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसके पश्चात् आरोपी श्री उमेश मेवाडा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र विकास साहू से लिवाई गई तो श्री उमेश मेवाडा के हल्का कॉफी रंग की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब से कुछ रूपये मिले। जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500–500 के 16 नोट कुल राशि 8,000 रूपये होना बताया। उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से करवाई गई तो नोटो के नम्बर निम्नानुसार समान पाये गये:–

क्रम संख्या	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	पांच सौ रूपये का एक नोट	1NG 916648
2	पांच सौ रूपये का एक नोट	4DS 658367
3	पांच सौ रूपये का एक नोट	6VN 965550
4	पांच सौ रूपये का एक नोट	6FV 941742
5	पांच सौ रूपये का एक नोट	9DA 584428
6	पांच सौ रूपये का एक नोट	6WW 971778
7	पांच सौ रूपये का एक नोट	7UF 323168
8	पांच सौ रूपये का एक नोट	7UD 478336
9	पांच सौ रूपये का एक नोट	OAF 895556
10	पांच सौ रूपये का एक नोट	1PR 991837
11	पांच सौ रूपये का एक नोट	8HC 666450
12	पांच सौ रूपये का एक नोट	2VF 019549
13	पांच सौ रूपये का एक नोट	4DF 694718
14	पांच सौ रूपये का एक नोट	OAL 852797
15	पांच सौ रूपये का एक नोट	6ET 674000
16	पांच सौ रूपये का एक नोट	6DQ 035911

उक्त नोटों को एक सफेद कागज लगाकर शील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी उमेश मेवाडा से परिवादी राजु भोई की माता श्रीमती झमकु देवी के प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधी पत्रावली के संबंध में पुछा तो उमेश मेवाडा ने बताया कि श्रीमती झमकु देवी का प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया आवेदन पत्र कार्यालय नगरपालिका आमेट में है। अन्य दस्तावेजात ऑन लाईन ही निकाले जा सकते है परन्तु श्री कृष्णगोपाल अधिशाषी अधिकारी के भ्र0नि0ब्यूरों द्वारा ट्रेप हो जाने से ऑन लाईन नहीं निकाले जा सकते है। क्योंकि अधिशाषी अधिकारी की आई/डी पर ओटीपी नंबर प्राप्त होने पर ही ऑन लाईन निकाले जा सकते है। नये अधिशाषी अधिकारी की जोईनिंग के बाद ही ऑन लाईन निकाले जायेगे। इसके पश्चात फर्द नक्शा मौका घटनास्थल अलग से मूर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री उमेश मेवाडा के द्वारा बताये गए संभावित स्थानों

पर तलाशी हेतु करणी माता मन्दिर के पास सार्वजनिक प्याउ से परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से तथा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 को आरोपी श्री उमेश मेवाडा की मोटर साईकिल पेशन नं0 आरजे 30 एसजी 7262 जिसे पुलिस थाना आमेट ड्यूटी ऑफिसर को श्री उमेश मेवाडा के परिवारजन को सिपूर्द करने हेतु संभलायी गई तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, मय ट्रेप पार्टी के रवाना श्री दीपक मेवाडा के घर एवं कस्बा आमेट में संभावित क्षेत्र में तलाश की परन्तु श्री दीपक मेवाडा कही नहीं मिला। बाद फारिक समय 10.00 पीएम पर कस्बा आमेट से रवाना हो समय 11 पीएम पर एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहुंचे। तत्पश्चात् आरोपी श्री उमेश मेवाडा की पहनी हुई पेंट बरंग हल्का कॉफी के सामने की दाहिनी जेब से 8,000 रूपये बरामद होने से पहनी हुई पेंट ससम्मान खुलवाकर लॉवर पहनाई जाकर पेंट बरंग हल्का कॉफी पेंट की सामने की दाहिनी जेब को उल्टा कर धुलवाने हेतु एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट गिलास में डालकर हिलाया तो घोल रंगहीन ही रहा। इस पर गिलास के रंगहीन घोल में उक्त जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त जेब का धौवण गहरा गुलाबी हो गया जिन्हे दो साफ कांच की शिशियों में डालकर सील मोहर किया जाकर धौवण की शिशियों को मार्क अंकित किया गया। तत्पश्चात् उक्त पेंट को समेटकर एक सफेद कपडे की थैली में सील कर सिलचिट कर मार्क 'पी' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताए, रिश्वत राशि लेन देन वार्ता, रिश्वत राशि संबंधी मोबाईल/वाट्सअप वार्ताए, फर्द मोबाईल जप्ती, फर्द ममोरी कार्ड जप्ती, फर्द नष्टीकरण इत्यादि अलग से तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यालय नगरपालिका आमेट से आरोपी श्री उमेश मेवाडा के नियुक्ति संबंधी पत्रादि एवं परिवादी श्री राजु भोई की माता श्रीमती झमकू देवी की प्रधानमंत्री आवास योजना संबंधी आवेदन पत्र मय सलग्न पत्रादि पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

दौराने मांग सत्यापन वार्ता आरोपीगण श्री दीपक मेवाडा एवं श्री उमेश मेवाडा द्वारा तकनीकी सहा. देवांशु सनाढ्य के लिये रिश्वत राशि की मांग करना आया है। अतः श्री देवांशु सनाढ्य की रिश्वत राशि के संबंध में भूमिका विस्तृत अनुसंधान से ही स्पष्ट हो सकेगी।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियो से पाया गया कि आरोपी श्री उमेश मेवाडा एवं श्री दीपक मेवाडा कम्युटर ऑपरेटर नगरपालिका आमेट द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी की माता श्रीमती झमकु देवी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किश्त 30,000 रूपये जमा कराये गए। तकनीकी सहायक देवांशु सनाढ्य के नाम से द्वितीय किश्त में अडचन नहीं डालने की एवज में 15,000 रूपये रिश्वत राशि मांग कर 8,000 रूपये पर दिनांक 18.05.23 को दीपक मेवाडा एवं श्री राजु भोई के मध्य तथा दिनांक 19.05.23 को उमेश मेवाडा एवं राजु भाई के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार सहमत होना तथा 0श्री उमेश मेवाडा द्वारा दिनांक 23.05.2023 को रिश्वत राशि मांग अनुसार 8,000 रूपये ग्रहण करना तथा आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से रिश्वत राशि 8,000 रूपये बरामद होना तथा आरोपी श्री उमेश मेवाडा के दोनों हाथों एवं पेंट की सामने की दाहिनी जेब के धोवण का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त होना। आरोपीगण श्री उमेश मेवाडा एवं श्री दीपक मेवाडा कम्युटर ऑपरेटर नगरपालिका आमेट का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0द0सं0 का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होना पाया गया हैं। अतः आरोपीगण श्री उमेश मेवाडा पुत्र श्री कैलाश मेवाडा उम्र 25 वर्ष निवासी शनि मन्दिर मारू दरवाजे के बाहर आमेट जिला राजसमन्द हाल कम्युटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) नगरपालिका आमेट तथा श्री दीपक मेवाडा हाल कम्युटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) नगरपालिका आमेट जिला राजसमन्द एवं अन्य के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0द0सं0 में कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(अनूप सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजसमन्द

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनूप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री उमेश मेवाड़ा पुत्र श्री कैलाश मेवाड़ा, कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा कर्मी) नगरपालिका आमेट, जिला राजसमन्द एवं 2. श्री दीपक मेवाड़ा, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (संविदा कर्मी), नगरपालिका आमेट, जिला राजसमन्द एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 127/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 960-63 दिनांक 24.05.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका आमेट, जिला राजसमंद।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमंद।

24.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।